UPGK010059902026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2648/2026,

गुड्डू उर्फ शमशाद पुत्र हमीद, उम्र लगभग 36 वर्ष,
निवासी ग्राम- बंजरिया, थाना- बखिरा,
जिला- सन्त कबीर नगर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 473/2025,
धारा- 305,331 (4) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- गगहा, जनपद- गोरखपुर।

30.06.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त गुड्डू उर्फ शमशाद, जो अपराध संख्या- 473/2025, धारा- 305, 331(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गगहा, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 24.08.2025 की बीती रात में (23 व 24 के बीच) प्रथम सूचनाकर्ता सुधीर सिंह के घर का ताला काटकर अज्ञात चोरो द्वारा रखे गये कीमती सामानो आठ सोने की चूड़ी, चार सोने के कंगन, दो सोने के हार, कान के सेट सहित पन्द्रह नग सोने की अंगूठी, तीन नग सोने का मांगटीका, दो नग नथिया सोने का, चार जोड़ी चांदी की पाजेब, एक नग लॉग सोने की चेन, तीन नग सोने की चेन, एक सोने का लाकेट सेट कान के झाले, एक सेट सोने का कान का कुन्डल, एक सेट सोने का झुमका, दो डायमन्ड रिंग सेट, बारह नग चांदी का सिक्का, एक नग चॉदी का पैर में पहनने वाला गोडहारा, तीन सेट कान का झाला सोने का, एक सेट चांदी का प्लेट, मछली, सुपारी, पान का पत्ता, गिलास, एक नक सोने का मंगलसूत्र का पेन्डल/लाकेट, एक सेट सोने का मंगलसूत्र, कान का झाला व अन्य आभूषण आदि की चोरी की गयी।

दौरान विवेचना दिनांक 10.09.2025 को आवेदक/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तगण इरफान, सोनू, चॉद अली उर्फ तौफिक व भीम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता प्रकाश में आयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/ अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष एवम् निरपराध हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम

सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथा चोरों की संख्या का भी जिक्र नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई समय का जिक्र नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखाई गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि चोरी गये जेवरात की संख्या व विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के गांव के इरफान को थाना की पुलिस घर से पकड़कर ले आयी थी। इरफान का आवेदक व आवेदक के परिवार वालों से पुरानी चुनावी रंजिश चली आ रही थी उसी चुनावी रंजिश को लेकर आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मुकदमा में इरफान द्वारा बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त एक अन्य मुकदमा में जिला कारागार सन्तकबीरनगर में निरूद्ध था थाना गगहा की पुलिस जरिये वारण्ट तलब करके आवेदक को इस मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने न तो कोई चोरी किया है और न ही आवेदक के कब्जे से चोरी का कोई सामान / रूपया बरामद हुआ है और न ही आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित किया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से उपरोक्त मुकदमा में जेल में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त कथित चोरी के अपराध में संलिप्त थे। आवेदक/अभियुक्त के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है और न ही उसे मौके से गिरफ्तार किया जाना कथित है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक/अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त गुड्डू उर्फ शमशाद का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 25,000/-रूपये के स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए :-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2- आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

3- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
30 जून, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.30 16:40:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court